

न्यायालय जिला कलक्टर करौली
पीठासीन अधिकारी नन्मल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा-हिण्डौन जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी
भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन - प्रार्थी

बनाम

इन्द्रराज पुत्र कजोड़या, चिम्मन, लखन, मनसुख पि. धनसिंह जाति मीना ग्राम गोरडा,
तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली - अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001
व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत् ऋणी सदस्य
की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने
बाबत्

निर्णय


दिनांक-27.03.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थीगण की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की सम्पत्ति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


तत्पश्चात् बहस सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सुनी गयी।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीगण इन्द्रराज पुत्र कजोड़या, चिम्मन, लखन, मनसुख पि. धनसिंह जाति मीना ग्राम गोरडा, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा हिण्डौन से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं कराने पर अप्रार्थीगण को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 332777/-रूपये, ब्याज 250931/-रूपये, द0ब्याज 30023/-रूपये कुल राशि 613731/-रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 368989/-रूपये, ब्याज 338535/-रूपये द0ब्याज 51073/-रूपये, बीमा 9379/-रूपये, वसूली व्यय 12157/-रूपये, नीलामी व्यय 39007/-रूपये सहित कुल राशि 819140/-रूपये की


जिला कलक्टर
करौली


अदायगी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अब उक्त डिक्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित सम्पत्ति आराजी खसरा नं. 1082 रकबा 0.26 हैक्टे., ख. नं. 1084 रकबा 0.26 हैक्टे. हिस्सा 1/12 भाग ख.नं. 713 रकबा 0.48 हैक्टे., ख.नं. 35 रकबा 0.06 हैक्टे., ख.नं. 491 रकबा 0.20 हैक्टे., ख.नं. 495 रकबा 0.79 हैक्टे., ख.नं. 504 रकबा 0.20 हैक्टे., ख.नं. 513 रकबा 0.14 हैक्टे., ख.नं. 632 रकबा 0.23 हैक्टे., ख. नं. 897 रकबा 0.76 हैक्टे., ख.नं. 908 रकबा 2.11 हैक्टे., ख.नं. 914 रकबा 0.15 हैक्टे., ख.नं. 915 रकबा 0.12 हैक्टे., ख.नं. 916 रकबा 0.21 हैक्टे., ख.नं. 922 रकबा 0.31 हैक्टे., ख.नं. 968 रकबा 0.22 हैक्टे., ख.नं. 988 रकबा 0.23 हैक्टे., ख.नं. 991 रकबा 0.24 हैक्टे., ख.नं. 1016 रकबा 0.13 हैक्टे., ख.नं. 34 रकबा 1.01 हैक्टे., ख.नं. 990 रकबा 0.01 हैक्टे. कुल किता 19 कुल रकबा 7.54 हिस्सा 1/3 भाग बाके ग्राम गोरडा, पटवार हल्का गोरडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 29.05.2014, 05.06.2014, 11.06.2014 एवं 30.12.2015 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थीगण की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंका की है। यह खाता राज्य सरकार द्वारा की गई ऋण माफी योजना 2019 के अंतर्गत दायरे में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा-हिण्डौन के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने कथन किया है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन की बकाया ऋण राशि असल 332777/-रुपये, ब्याज 250931/-रुपये, द0ब्याज 30023/-रुपये कुल राशि 613731/-रुपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 368989/- रुपये, ब्याज 338535/-रुपये द0ब्याज 51073/-रुपये, बीमा 9379/-रुपये, वसूली व्यय 12157/-रुपये, नीलामी व्यय 39007/-रुपये सहित कुल राशि 819140/- रुपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी की बैंक में बंदकित भूमि आराजी खसरा नं. 1082 रकबा 0.26 हैक्टे., ख.नं. 1084 रकबा 0.26 हैक्टे. हिस्सा 1/12 भाग ख.नं. 713 रकबा 0.48 हैक्टे., ख.नं. 35 रकबा 0.06 हैक्टे., ख.नं. 491 रकबा 0.20 हैक्टे., ख.नं. 495 रकबा 0.79 हैक्टे., ख.नं. 504 रकबा 0.20 हैक्टे., ख.नं. 513 रकबा 0.14 हैक्टे., ख.नं. 632 रकबा 0.23 हैक्टे., ख.नं. 897 रकबा 0.76 हैक्टे., ख.नं. 908 रकबा 2.11 हैक्टे., ख. नं. 914 रकबा 0.15 हैक्टे., ख.नं. 915 रकबा 0.12 हैक्टे., ख.नं. 916 रकबा 0.21 हैक्टे., ख.नं. 922 रकबा 0.31 हैक्टे., ख.नं. 968 रकबा 0.22 हैक्टे., ख.नं. 988 रकबा 0.23 हैक्टे., ख.नं. 991 रकबा 0.24 हैक्टे., ख.नं. 1016 रकबा 0.13 हैक्टे., ख.नं. 34 रकबा 1.01 हैक्टे., ख.नं. 990 रकबा 0.01 हैक्टे. कुल किता 19 कुल रकबा 7.54 हिस्सा 1/3 भाग बाके ग्राम गोरडा, पटवार हल्का गोरडा, तहसील टोडाभीम जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची


जिला कलेक्टर
करौली

नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी गई भूमि आराजी खसरा नं. 1082 रकबा 0.26 हैक्टे., ख.नं. 1084 रकबा 0.26 हैक्टे. हिस्सा 1/12 भाग ख.नं. 713 रकबा 0.48 हैक्टे., ख.नं. 35 रकबा 0.06 हैक्टे., ख.नं. 491 रकबा 0.20 हैक्टे., ख.नं. 495 रकबा 0.79 हैक्टे., ख. नं. 504 रकबा 0.20 हैक्टे., ख.नं. 513 रकबा 0.14 हैक्टे., ख.नं. 632 रकबा 0.23 हैक्टे., ख.नं. 897 रकबा 0.76 हैक्टे., ख.नं. 908 रकबा 2.11 हैक्टे., ख.नं. 914 रकबा 0.15 हैक्टे., ख.नं. 915 रकबा 0.12 हैक्टे., ख.नं. 916 रकबा 0.21 हैक्टे., ख.नं. 922 रकबा 0.31 हैक्टे., ख.नं. 968 रकबा 0.22 हैक्टे., ख.नं. 988 रकबा 0.23 हैक्टे., ख.नं. 991 रकबा 0.24 हैक्टे., ख.नं. 1016 रकबा 0.13 हैक्टे., ख.नं. 34 रकबा 1.01 हैक्टे., ख.नं. 990 रकबा 0.01 हैक्टे. कुल किता 19 कुल रकबा 7.54 हिस्सा 1/3 भाग बाके ग्राम गोरडा, पटवार हल्का गोरडा, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा हिण्डौन के पक्ष में अंतरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोड़ाभीम को राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने हेतु एवं प्रार्थी को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(नन्नुमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली